

## राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :-प1(1)कार्मिक/नि.चि.पार्ट-8/31/2013/3520

दिनांक:- 26/2/13

### कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा मण्डल कार्मिकों को कुल देय चिकित्सा बिल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी :-

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम व पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1.	विस्डम डेन्टल क्लिनिक्स, 1. वी-202, जनता कालोनी, जयपुर 2. सेक्टर 10/15, विद्याधर नगर, जयपुर	2611731, 9829161173 2232111, 2230283
2.	इन्डोवेस्टर्न ब्रेन एण्ड स्पाईन हॉस्पिटल, नयी विधानसभा के पास, लाल कोठी, जयपुर	2744441 - 42

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा संचालक मंडल के अनुमोदन की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

——  
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवास आयुक्त/मुख्य चिकित्सा, राज0आ0म0, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाकार एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियंता ..... राज0आवा0मण्डल, .....
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज0आ0म0 .....
5. आवासीय अभियंता खण्ड ..... राज0आ0म0 .....
6. सम्बन्धित निजी चिकित्सालय-
7. नोटिस बोर्ड /रक्षित पत्रावली।

——  
सचिव